



परिशिष्ट-IV-क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-निलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-निलामी विक्रय सूचना।

आम लोगों को और विशेष रूप से ऋणियों व जमानतदारों जिन्हें नीचे दर्शित तालिका के कॉलम (ए) में दर्शाया गया है को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे तालिका के कॉलम (सी) में दर्शाई गई अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक हैं, का वास्तविक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर ऋणियों व जमानतदारों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार को बकाया राशि जिसे नीचे वर्णित तालिका के कॉलम (बी) में दर्शाया गया है, को वसूली हेतु दिनांक व समय जिसे तालिका के कॉलम (जी) में दर्शाया गया है के द्वारा आरक्षित मूल्य जिसे तालिका के कॉलम (डी) में दर्शाया गया है व अग्रिम धन राशि (धरोहर राशि) जिसे तालिका के कॉलम (एफ) में दर्शाया गया है, को बेचा जायेगा।

सम्पत्ति के निरीक्षण की दिनांक जिसे तालिका के कॉलम (ई) में दर्शाया गया है, अग्रिम धन राशि (धरोहर राशि) व के.वाई.सी. दस्तावेज जमा करवाने की अन्तिम तिथि जिसे तालिका के कॉलम (एफ) में दर्शित किया गया है।

विक्रय की जा रही प्रतिभूत आस्तियों का विवरण

क्र.सं.	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच
	ऋणी व जमानती का नाम व शाखा का नाम	13(2) नोटिस के अनुसार मांग राशि	विक्रय की जा रही प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	अचल सम्पत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय	धरोहर राशि व के.वाई.सी. जमा कराने की अंतिम तिथि	ई-निलामी की दिनांक व समय	कब्जा लिये जाने की प्रकृति व दिनांक
1	श्रीमती ललिता गुप्ता पत्नी श्री गोकुल प्रसाद एवं श्री मनोज कुमार पुत्र, श्री गोकुल प्रसाद शाखा कार्यालय-रामगंज मण्डी, कोटा	रू. 9,12,069 दिनांक 16/05/2019 तक एवं इसके पश्चात पूर्ण अदायगी तक व्याज व खर्च सहित देय राशि।	श्रीमती ललिता गुप्ता पत्नी श्री गोकुल प्रसाद की आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 24, सुभाष कॉलोनी, रामगंजमण्डी, जिला कोटा, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग शामिल हैं। क्षेत्रफल 1800 वर्ग फिट (30x60) है। सीमाएँ: पूर्व में: रोड़ 15 फीट, पश्चिम में: मकान श्री हीरा लाल, उत्तर में: मकान श्री डुंगर सिंह, दक्षिण में: प्लॉट नं. 25	रू. 11,00,000/- रू. 1,10,000/- रू. 10,000/-	दिनांक 25/11/2019 व समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 2.00 बजे तक	दिनांक 06/12/2019, सायं 4.00 बजे तक	दिनांक 09/12/2019 व समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	भौतिक कब्जा दिनांक 02/08/2019
2	मैसर्स देवनारायण स्टोन इंडस्ट्रीज (प्रो. स्व.नारायण सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह रायपूर) श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी स्व. नारायण सिंह, श्री लखन सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह, श्री सुनील सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह व सुश्री बुलबुल शेखावत पुत्री स्व. नारायण सिंह (सभी विधिक उत्तराधिकारी स्व. नारायण सिंह) शाखा कार्यालय-रामगंज मण्डी, कोटा	रू. 13,42,100 दिनांक 18/06/2019 तक एवं इसके पश्चात पूर्ण अदायगी तक व्याज व खर्च सहित देय राशि।	श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी स्व. नारायण सिंह, श्री लखन सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह, श्री सुनील सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह व सुश्री बुलबुल शेखावत पुत्री स्व. नारायण सिंह (सभी विधिक उत्तराधिकारी स्व. नारायण सिंह) की व्यवसायिक सम्पत्ति जो गाँव फतेहपुरा, रामगंज मण्डी जिला कोटा, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग शामिल हैं। क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर हैं। सीमाएँ: पूर्व में: रोड़, पश्चिम में: कृषि भूमि, उत्तर में: श्रीमती हेमा शर्मा की प्रोपर्टी, दक्षिण में: श्री जुगलजी की प्रोपर्टी	रू. 12,25,000/- रू. 12,25,00/- रू. 10,000/-	दिनांक 25/11/2019 व समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 2.00 बजे तक	दिनांक 06/12/2019, सायं 4.00 बजे तक	दिनांक 09/12/2019 व समय दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	भौतिक कब्जा दिनांक 03/09/2019
3	मै. नजमा स्टोन इंडस्ट्रीज (प्रो. नजमा तबस्सुम पत्नी श्रीबीर) शाखा कार्यालय-रामगंज मण्डी, कोटा	रू. 9,76,054 दिनांक 18/06/2019 तक एवं इसके पश्चात पूर्ण अदायगी तक व्याज व खर्च सहित देय राशि।	श्रीमती नजमा तबस्सुम पत्नी श्री श्रीबीर की व्यावसायिक सम्पत्ति जो खसरा नं- 55/421, गाँव कृष्णकोट, रामगंज मण्डी, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग शामिल हैं। क्षेत्रफल 1215 वर्ग मीटर हैं। सीमाएँ: पूर्व में: रोड़ 25 फीट एवं स्वयं की भूमि, पश्चिम में: रोड़ 25 फीट एवं सरफराज की भूमि, उत्तर में: प्लॉट की शाहकूख खाँ, दक्षिण में: फैक्ट्री श्री श्रीबीर मोहम्मद	रू. 11,15,000/- रू. 1,11,500/- रू. 10,000/-	दिनांक 25/11/2019 व समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 2.00 बजे तक	दिनांक 06/12/2019, सायं 4.00 बजे तक	दिनांक 09/12/2019 व समय दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	भौतिक कब्जा दिनांक 03/09/2019

विक्रय के निबंधन और शर्तों के व्योरे के लिए, कृपया नीचे दी गई सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा शाखा प्रबंधक श्री तरुण कुमार शर्मा मो. नं. 8696930763 तथा बोली जमा करने व ई-बोली प्रक्रिया के प्रशिक्षण हेतु श्री विनोद चौहान मो.नं. 9813887931 ई-मेल-delhi@cibindia.com, support@bankeauctions.com पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। www.centralbankofindia.co.in or <https://www.bankeauctions.com> पर देखें।

दिनांक : 02.11.2019, स्थान : रामगंजमण्डी, कोटा

प्राधिकृत अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया